



# OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास एवं 1,15,000/-रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना हैं कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के संबंध में दिनांक 14.12.2018 को थाना मिलक पर मु०अ०सं०- 643/18 धारा- 363,366,376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट बनाम अरविन्द पुत्र कुंवरसेन निवासी ग्राम बेगमाबाद थाना मिलक, रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक- 19.10.2024 को मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ADJ-8, रामपुर द्वारा अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त को 20 वर्ष का कारावास एवं 1,15,000/- रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त अरविन्द पुत्र कुंवरसेन निवासी ग्राम बेगमाबाद थाना मिलक जनपद रामपुर को 20 वर्ष का कारावास एवं 1,15,000/- रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@rampurpolice

7839859826